



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273।

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2015/वैशाख 9, 1937

No. 273।

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2015/VAISAKHA 9, 1937

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 334(अ).—आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 की संख्या 12) जो दिनांक 30 मार्च, 2015 संसद द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ है तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है।

राष्ट्रपति के नाम में और उनके आदेश द्वारा,

[फा. सं. 12012/01/2014-एस आर]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2015

G.S.R. 334(E).—‘The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2015 (No. 12 of 2015)’ passed by the Parliament and assented by the President on the 30th March, 2015 shall come into force at once.

By Order and in the Name of the President,

F. No. 12012/01/2014-SRJ

KUMAR ALOK, Jt. Secy.